कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
"प्रकीर्ण वर्ग"
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून
Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431 Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक:-164 / 174 / सा-१-प्रकी0/18 दिनांक: 17 / 2 / 2018

:: परिपत्र ::

दिनांक 01-07-2017 से GST लागू होने के पश्चात पूर्व में गठित अनुबन्धो में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया हेतु जारी शासनादेश स० 2137/III(2)/17-27(सामान्य)/2017 दिनाक 05-09-2017 में दिये गए निर्देशो के क्रम में खंडो मे कार्यरत फील्ड अभियन्ताओं, अधीक्षण अभियन्ताओं तथा क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा समय समय पर इस कार्यालय को पत्र प्राप्त हुए है, जिनमे की गयी पृच्छाओ के निराकरण हेतु निम्नवत दिशानिर्देश जारी किए जा रहे है:-

1- उपरोक्त शासनादेश में GST लागू होने के पश्चात, पूर्व में गठित अनुबन्धो में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में फील्ड अभियन्ताओं द्वारा प्रक्रिया को सरलीकृत करने हेतु माँग की गयी है। जिसके संबंध में स्पष्ट करना है कि उक्त शासनादेश वाणिज्य कर विभाग द्वारा GST की गाइडलाईन के अनुसार तथा वित्त विभाग की सहमति से शासन द्वारा जारी किया गया है, जो कि लोक निर्माण विभाग के साथ ही प्रदेश के अन्य विभागो पर भी लागू है। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (Office Memorandum No. SE/TAS/GST/13 dated 02-01-2018) तथा अन्य राज्यो में जैसे लोक निर्माण विभाग, उत्तरप्रदेश (शानादेश स 1614/23-10-2017-12(सामान्य)/2017 दिनांक 09-11-2017) द्वारा भी उक्त शासनादेश के समान ही व्यवस्था दी गयी है। अत: केंद्र, अन्य प्रदेश व राज्य स्तर पर अपनाई जा रही प्रक्रिया के अतिरिक्त केवल उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग के लिए अलग से प्रक्रिया का निर्धारण ओचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है।

अत: निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में गठित अनुबन्धो में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया हेतु शासनादेश स० 2137/III(2)/17-27(सामान्य)/2017 दिनाक 05-09-2017 में दिये गए निर्देशो के अनुसार ही कार्यवाही की जाय।

2- फील्ड अभियन्ताओं द्वारा भवन कार्यो के आगणन में GST जोड़ने की प्रक्रिया हेतु निर्देश चाहे गए है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि भवन कार्यो में दरे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले DSR से ली जाती है। वर्तमान में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी DSR में मदों की भाषा के अनुसार दरे समस्त लागू करो को जोड़कर प्राप्त है, अत: DSR के मदों से गठित आगणनो में GST हेतु अलग से कोई राशि नहीं जोड़ी जानी है।

3- खंडो मे कार्यरत फील्ड अभियन्ताओं, अधीक्षण अभियन्ताओं तथा क्षेत्रीय अभियन्ताओं द्वारा सुझाव दिया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व के वर्षो के जारी केंद्रीय एस०ओ०आर० को पुनरीक्षित कर बिना TAX की दरे निकालकर पुन: केंद्रीय एस०ओ०आर० जारी किए जाय। इस संबंध में खंड स्तर पर गणना केवल 1जुलाई से पूर्व के गठित अनुबन्धो के संबंध में कुछ मदों की ही, संबन्धित ब्लाक हेतु की जानी है। परंतु यदि केंद्रीय स्तर पर गणना की जाती है तो प्रत्येक वर्ष के लगभग 1.50 लाख मदों की गणना की जानी होगी जो कि अव्यवहारिक है। अत: सम्यक विचारोपरांत निर्देशित किया जाता है कि गणना का कार्य शासनादेश के अनुसार खंड स्तर से ही किया जाएगा।

4- कतिपय खंडो द्वारा द्वारा अवगत कराया गया है कि कुछ प्रकरणो में शासनादेश स० 2137/III(2)/17-27(सामान्य)/2017 दिनाक 05-09-2017 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार गणना ऋणात्मक होने कारण देयक कि धनराशि कम हो रही है। इस प्रकार के प्रकरणो में भी शासनादेश के अनुसार ही कार्यवाही की जानी है।

5- कुछ अभियन्ताओं द्वारा पूर्व के वर्षो के सामग्री में सम्मिलित टैक्स की दरें इस कार्यालय से जारी किए जाने हेतु माँग की गयी है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि इस कार्यालय द्वारा केंदीकृत SOR जारी किए जाते समय सामग्री की फील्ड अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गयी बाजारी दरो के अनुसार SOR गठित किया जाता है, तथा बाजारी दरे तत्समय लागू समस्त टैक्स को सम्मलित मानते हुए ली जाती है। जिस कारण विभिन्न सामाग्री पर तत्समय लागू टैक्स की दरे इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। पूर्व के वर्षो के विभिन्न सामाग्री में लागू वैट की दरे वाणिज्य कर विभाग तथा एक्साइज़ टैक्स की दरे केंद्रीय सीमा एवं उत्पाद शुल्क विभाग से या इन विभागो की वैबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। बेबसाइट की जानकारी शासनादेश स० 2137/III(2)/17-27(सामान्य)/2017 दिनाक 05-09-2017 में दी गयी है।

क्रमश:...

6- खंडो मे कार्यरत फील्ड अभियन्ताओं द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व के वर्षो के एसओआर के दर विश्लेषण फील्ड अभियन्ताओं के पास उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि पूर्व के वर्षो (वर्ष 2011-12 से वर्ष 2016-17 तक) के एसओआर PWIMS सॉफ्टवेयर के माध्यम से जारी किए गए है, वैबसाइट http://202.91.91.120 पर उपलब्ध है, एवं वर्ष 2016-17 के Misc SOR की दर विश्लेषण रिपोर्ट तथा वर्ष 2017-18 कि समस्त SOR रिपोर्ट वैबसाइट http://pwdsor.pwduk.in/ पर उपलब्ध है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि दर विश्लेषण के आधार पर ही एसओआर की दरें आगणन में ली जाती है, साथ ही कार्य कराते समय कार्य स्थल पर गुणवत्ता नियंत्रण हेतु विभिन्न सामग्री की आवश्यकता, देयक में रायल्टी की गणना, अतिरिक्त मद की दर निर्धारित करने आदि के लिए फील्ड अभियंता के पास मद का दर विश्लेषण होना अत्यंत आवश्यक है। दर विश्लेषण रिपोर्ट तकनीकी स्वीकृति हेतु गठित आगणन का अभिन्न भाग है। अत: भविष्य के लिए निर्देशित किया जाता है कि तकनीकी स्वीकृतकर्ता अधिकारी, तकनीकी स्वीकृत आगणन में मदों की दर विश्लेषण रिपोर्ट आवश्यक रूप से लगाया जाना सुनिश्चित करे।

7- खंडो मे कार्यरत फील्ड अभियन्ताओं द्वारा यह भी आशंका व्यक्त की गयी है कि खंड स्तर पर GST की गणना JE / AE द्वारा की जा रही है तथा भविष्य में किसी गलती के संज्ञान में आने पर समस्त ज़िम्मेदारी संबन्धित JE / AE की मानी जाएगी। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उपखंड से प्राप्त देयकों में GST की गणना को भुगतान से पूर्व प्राविधिक वर्ग तथा लेखा वर्ग से विस्तृत परीक्षण सुनिश्चित होने के पश्चात ही भुगतान किया जाय।

(एच० के० उप्रेती)
प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग
देहरादून

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सलग्नों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड शासन।
2. मुख्य अभियन्ता स्तर I (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0 नि0 वि0 देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लो0 नि0 वि0, उत्तराखण्ड देहरादून/ पौड़ी/टिहरी/हल्द्वानी/पिथौरागढ/अल्मोड़ा
4. मुख्य अभियंता USRIP/ UEAP/ UDRP देहरादून।
5. वित्त नियंत्रक विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0 नि0 वि0 देहरादून।
6. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर्स I / II विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0 नि0 वि0 देहरादून।
7. समस्त अधीक्षण अभियंता .....वाँ वृत्त लो0 नि0 वि0 .....
8. निदेशक क्वालिटी कंट्रोल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0 नि0 वि0 देहरादून।
9. अधिशासी अभियन्ता IT को विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
10. समस्त अधिशासी अभियंता, प्रा०/नि०/ अस्थायी/ रा० मा० खंड .....
11. समस्त तकनीकी स्टाफ, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग
देहरादून